



प्रथमा यू.पी. ग्रामीण बैंक

प्रधान कार्यालय- रामगंगा विहार, फेज-2, मुरादाबाद-244001 (उ.प्र.) | क्षेत्रीय कार्यालय-झांसी (उ.प्र.)

सार्वजनिक नीलामी द्वारा अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु सूचना

(वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण व पुनर्गठन और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के नियमानुसार) (नियम 8 (6) के तहत)

सर्व-साधारण को और विशेष रूप से ऋणी / जमानतदार/ बंधककर्ता को नोटिस यह नोटिस दिया जाता है, कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जो बैंक / प्रतिभूति लेनदार के पास गिरवी / प्रभारित है, का अधिग्रहण रचनात्मक/ भौतिक / सांकेतिक रूप से प्रथमा यू पी 0 ग्रामीण बैंक - प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है, जैसा है, और जो कुछ भी है" को नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित तिथि को, ऋणी / जमानतदार/ बंधककर्ता से प्रथमा यू पी 0 ग्रामीण बैंक प्रतिभूत लेनदार की बकाया राशि की वसूली हेतु बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य, अग्रिम राशि (धरोहर राशि) संबंधित सम्पत्ति के आगे नीचे दी गई तालिका में वर्णित है।

क्र. सं.	शाखा का नाम खाते का विवरण उधारकर्ता/जमानतकर्ता/ खाता का नाम एवं पता	बंधक संपत्ति का विवरण/बंधक संपत्ति मालिक का नाम (बंधक संपत्ति या (परिसंपत्ति से संबंधित सभी भाग एवं हिस्सों सहित) सम्पत्ति स्वामित्व	अ) सरफेसी निगम 2002 की धारा 13(2) के तहत मांग सूचना की तिथि ब) मांग सूचना तिथि को देय बकाया राशि स) सरफेसी नियम 2002 की धारा के तहत कब्जे की तिथि द) कब्जा/प्रकार-रचनात्मक/सांकेतिक	अ) आरक्षित मूल्य (लाख में) ब) अग्रिम राशि जमा (ईएमडी)/ राशि जमा करने की समय सीमा स) बोली वृद्धि धनराशि द) निरीक्षण की दिनांक एवं समय	नीलामी की दिनांक व समय	प्रतिभूति लेनदार को ज्ञात भार का विवरण
1	शाखा : मऊरानीपुर मुख्य मऊरानीपुर जिला-झांसी ऋणी-श्री गजेन्द्र सिंह पुत्र श्री लक्ष्मी प्रसाद सिंह एवं श्रीमती नीतू सिंह पत्नी श्री गजेन्द्र सिंह	एक मंजिला आवासीय भवन, माप 694.33 वर्ग मीटर, पता-मेन स्वर्गेश्वर मंदिर रोड, मौजा-झांकारी, के.एस. एकेडमी के पास, मऊरानीपुर, झांसी। (संपत्ति मालिक/बंधककर्ता-श्री गजेन्द्र सिंह पुत्र श्री लक्ष्मी प्रसाद सिंह एवं श्रीमती नीतू सिंह पत्नी श्री गजेन्द्र सिंह)। चौहद्दी स्वामित्व विलेख के अनुसार : उत्तर-स्वर्गेश्वर मंदिर रोड, दक्षिण-श्री मुन्ना लाल का प्लाट, पूर्व-श्री अफजल का प्लाट और विजय सिंह का खेत, पश्चिम-15 फीट का रोड। संपत्ति स्वामित्व : ऋणी स्वयं	अ) 03.03.2023 ब) रु. 27,06,808.00+ ब्याज एवं अन्य खर्चें स) 09.10.2023 द) सांकेतिक कब्जा	अ) रु. 47.75 लाख ब) रु. 4.77 लाख स) रु. 20000.00 द) 03.10.2024 को सुबह 11:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक	04.10.2024 सुबह 11:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक	बैंक में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार ज्ञात नहीं
2	शाखा : मऊरानीपुर मुख्य मऊरानीपुर जिला-झांसी ऋणी-श्री सुल्तान पुत्र अब्दुल शाहिद।	चहार दीवारी टिन सेट के साथ, माप 62.73 वर्ग मीटर, पता- वार्ड नं. 10, मोहल्ला गांधी गंज जयंती पैलेस के पास, मऊरानीपुर, झांसी। (संपत्ति मालिक/बंधककर्ता-श्री सुल्तान पुत्र अब्दुल शाहिद)। चौहद्दी स्वामित्व विलेख के अनुसार : उत्तर-जयंती पैलेस और मद्दा मंदिर रोड, दक्षिण-श्री भागीरथ कुशवाहा का प्लाट, पूर्व-03 मीटर का रोड, पश्चिम-श्री केशव दास बिलैया का प्लाट। संपत्ति स्वामित्व : ऋणी स्वयं	अ) 14.07.203 ब) रु. 7,80,950.64+ ब्याज एवं अन्य खर्चें स) 09.10.2023 द) सांकेतिक कब्जा	अ) रु. 9.25 लाख ब) रु. 0.92 लाख स) रु. 10000.00 द) 03.10.2024 को सुबह 11:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक	04.10.2024 सुबह 11:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक	बैंक में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार ज्ञात नहीं
3	शाखा : मऊरानीपुर मुख्य मऊरानीपुर जिला-झांसी ऋणी-श्री शाहिद खान पुत्र श्री हामीद खान।	चहार दीवारी टिन सेट के साथ, माप 62.73 वर्ग मीटर, पता- वार्ड नं. 10, मोहल्ला गांधी गंज जयंती पैलेस के पास, मऊरानीपुर, झांसी। (संपत्ति मालिक/बंधककर्ता-श्री शाहिद खान पुत्र श्री हामीद खान)। चौहद्दी स्वामित्व विलेख के अनुसार : उत्तर-कल्पना का प्लाट, दक्षिण-कछवारा कुशवाहा जी का, पूर्व- 10 फीट का रोड, पश्चिम-श्री केशव दास बिलैया का प्लाट। संपत्ति स्वामित्व : ऋणी स्वयं	अ) 23.09.2022 ब) रु. 9,45,369.72+ ब्याज एवं अन्य खर्चें स) 02.08.2023 द) सांकेतिक कब्जा	अ) रु. 9.50 लाख ब) रु. 0.95 लाख स) रु. 10000.00 द) 03.10.2024 को सुबह 11:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक	04.10.2024 सुबह 11:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक	बैंक में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार ज्ञात नहीं
4	शाखा : मऊरानीपुर मुख्य मऊरानीपुर, जिला-झांसी ऋणी-श्री हरिश्चंद्र यादव पुत्र श्री नारायण दास वं श्रीमती अहिल्या देवी पत्नी श्री हरिश्चंद्र यादव	खाली प्लाट, माप 83.64 वर्गमीटर, पता-मोहल्ला परवारी पुरा, मऊरानीपुर, झांसी। (संपत्ति मालिक/बंधककर्ता-श्री हरिश्चंद्र यादव पुत्र श्री नारायण दास)। चौहद्दी स्वामित्व विलेख के अनुसार : उत्तर-अहिल्या देवी का घर, दक्षिण-रास्ता, पूर्व- विक्रेता का प्लाट, पश्चिम-विक्रेता का प्लाट। संपत्ति स्वामित्व : ऋणी स्वयं	अ) 29.10.2022 ब) रु. 6,47,701.40+ ब्याज एवं अन्य खर्चें स) 22.02.2023 द) सांकेतिक कब्जा	अ) रु. 7.50 लाख ब) रु. 0.75 लाख स) रु. 10000.00 द) 03.10.2024 को सुबह 11:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक	04.10.2024 सुबह 11:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक	बैंक में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार ज्ञात नहीं
5	शाखा : मऊरानीपुर मुख्य मऊरानीपुर जिला-झांसी ऋणी-श्री भानु द्विवेदी पुत्र शरद चंद्र द्विवेदी	दुकान, माप 16.25 वर्ग मीटर, पता-मोहल्ला गांधीगंज, एसबीआई के सामने, मऊरानीपुर, झांसी। (संपत्ति मालिक/बंधककर्ता-श्री भानु द्विवेदी पुत्र शरद चंद्र द्विवेदी) चौहद्दी स्वामित्व विलेख के अनुसार : उत्तर-विक्रेता का घर, दक्षिण-रास्ता, पूर्व-श्री सोमेश मिश्रा की दुकान और घर, पश्चिम- श्री हरीश दुबे की दुकान और घर। संपत्ति स्वामित्व : ऋणी स्वयं	अ) 29.06.2022 ब) रु. 5,71,542.69+ ब्याज एवं अन्य खर्चें स) 06.09.2022 द) सांकेतिक कब्जा	अ) रु. 8.00 लाख ब) रु. 0.80 लाख स) रु. 10000.00 द) 03.10.2024 को सुबह 11:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक	04.10.2024 सुबह 11:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक	बैंक में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार ज्ञात नहीं
6	शाखा : मऊरानीपुर मुख्य मऊरानीपुर जिला-झांसी ऋणी-ददा माहेश्वरी सिंह संस्थान द्वारा संचालित नैशनल अकादेमी प्रबंधक श्री प्रमोद सिंह पुत्र श्री हनुमंत सिंह	विद्यालय भवन, माप 0.793 हेक्टेयर, पता-मौजा रौनी, मऊरानीपुर, झांसी। (संपत्ति मालिक/बंधककर्ता-ददा माहेश्वरी सिंह संस्थान द्वारा संचालित नैशनल अकादेमी प्रबंधक श्री प्रमोद सिंह पुत्र श्री हनुमंत सिंह) चौहद्दी स्वामित्व विलेख के अनुसार : उत्तर-भूमि संख्या 832, 971, दक्षिण-भूमि संख्या 832, 830, पूर्व-भूमि संख्या 971, पश्चिम-भूमि संख्या 832 संपत्ति स्वामित्व : ऋणी स्वयं	अ) 08.09.2022 ब) रु. 60,95,256.64+ ब्याज एवं अन्य खर्चें स) 02.08.2023 द) सांकेतिक कब्जा	अ) रु. 107.50 लाख ब) रु. 10.75 लाख स) रु. 20000.00 द) 03.10.2024 को सुबह 11:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक	04.10.2024 सुबह 11:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक	बैंक में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार ज्ञात नहीं

नियम एवं शर्तें :- 1. उपरोक्त संपत्तियों का विक्रय "जहाँ है जैसा है जो कुछ भी है" के आधार पर किया जायेगा। प्राधिकृत अधिकारी बिना कारण दर्शाए किसी भी बोली को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। 2. इस अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित संपत्तियों के विवरण को प्राधिकृत अधिकारी की प्राप्त पूर्ण विवरण के अनुसार ही प्रतिभूत आस्तियों को ऊपर दिखाई गई तालिका के अनुसार बेचा जाएगा लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस घोषणा में किसी त्रुटि गलत कथन या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होगा। 3. संपत्ति पर समस्त सरकारी करों व देयताओं की जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी। 4. यदि ऋणी नीलामी की तारीख से पूर्व बैंक का संपूर्ण बकाया राशि अदा कर देता है तो नीलामी रद्द कर दी जाएगी। 5. बिक्री उपरोक्त तालिका में वर्णित दिनांक को समय पर नीलामी के माध्यम से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा की जाएगी। 6. ट्रेड की विस्तृत जानकारी हेतु निबंध और शर्तों के लिए कृपया <http://prathamaupbank.com> देखें।

दिनांक : 23.08.2024

स्थान : मऊरानीपुर

सरफेसी अधिनियम 2002-8(6) के अंतर्गत 30 दिवस की वैधानिक विक्रय सूचना

प्रतिभूत लेनदार/प्राधिकृत अधिकारी